रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264197
CG-DL-E-27062025-264197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947
No. 376]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

सा.का.नि. 419(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1980 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक (राजभाषा)।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अनतुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56,100- 1,77,500 /-रु.)।	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति।	प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400/-रु.) में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संस्थान से दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा आठ वर्ष बनी रहेगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने स्तर-9 (53,100 - 1,67,800 रु.) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने स्तर-8 (47,600 - 1,51,000 रु.) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने स्तर-7 (44,900 - 1,42,400 रु.) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष या सदस्य यूपीएससी—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रभारी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सदस्य; 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण—सदस्य; समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त सचिव (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रभारी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-अध्यक्ष 2. निदेशक/ उप सचिव (सीएस-II)-सदस्य 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य।	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों:- आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम हो और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी में पारिभाषिक कार्य और अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद, अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का तीन वर्ष का अनुभव; या		

	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वाशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में शोध का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं स्तर पर संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हिंदी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का अध्ययन किया हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.01/10/2021- सीएसबी]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2025

G.S.R. 419(E).— .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1980, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Botanical Survey of India, Assistant Director (Official language) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a)who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Official Language).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Non Ministerial.	Level – 10 in the Pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500/-).	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)

Promotion failing which by deputation.	By Promotion: Junior Translation Officer in Level-6 (Rs.35,400-1,12,400/-) in pay matrix with ten years regular service in the grade rendered after appointment there to and have successfully completed training of two to four weeks from Institute as specified by the Central Government. Note 1: The eligibility service shall continue to be eight years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of commencement of these rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-9 (Rs. 53,100 - 1,67,800); or (iii) With four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-8 (Rs. 47,600 - 1,51,000); or (iv) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-7 (Rs. 44,900 - 1,42,400); and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- Essential: (i) Master degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the graduation level; or Master degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the graduation level; or Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the graduation level; or Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the graduation level; or	Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of:- **1.** Chairman or Member UPSC- Chairperson **2.** Joint Secretary (in-charge of Botanical Survey of India), MoEF&CC –Member; **3.** Director, Botanical Survey of India– Member; Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary (in-charge of Botanical Survey of India), MoEF&CC-Chairperson 2. Director/ Deputy Secretary (CS-II)-Member 3. Director, Botanical Survey of India – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making appointment by promotion.

	Master degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at graduation level; and (ii) Three years experience of terminological work in Hindi and translation from English to Hindi or vice-versa, preferably technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Union Territory administration or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertaking or recognised University or recognized research or educational institutions; or Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Government or Union Territory administration or autonomous body or Statutory Organizations or Public Sector Undertaking or recognised university or recognized research or educational institution. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi language specified in the Eighth Schedule of the Constitution at 10th level from a recognized board or institution Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No.01/10/2021-CSB]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

s

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.27 15:09:45 +05'30'